न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.),आसीन्द जिला–भीलवाडा

बजरिये श्री सी.एल.शर्मा आर.ए.एस.

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	26/2016
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2016/01924
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	12.01.2016
प्रकरण निर्णय होने की दिनांक	22.07.2021

अनवान

1	प्रतापसिंह पि.पीरूसिंह रावत नि.सोपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2	देबीसिंह पि.पीरूसिंह रावत नि.सोपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3.	सायरसिंह पि.पीरूसिंह रावत नि.सोपुरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— प्रार्थीगण

बनाम

1	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा

— अप्रार्थी

उपस्थिति –अधिवक्ता प्रार्थीगण	श्री राधेश्याम पारीक
उपस्थितिः- अधिवक्ता अप्रार्थी	पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

:: निर्णय ::

(1) प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर संक्षेपतः निवेदन किया है कि निम्नांकित कृषि भूमि प्रार्थीगण के नाम शामलाती खाते में प्रताप देवा सायर पि.पीरू मेरात मुसलमान सा.देह दर्ज रेकार्ड है –

ग्राम सोपुरा पटवार हल्का दड़ावट तहसील आसीन्द संवत 2068-71

खाता संख्या	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
33	प्रताप देवा सायर पि.पीरू मेरात मुसलमान सा.देह	261	0.17	262	[illegible]	297	0.06
		298	0.23	299	[illegible]	300	0.05
		301	0.06	302	[illegible]	308	[illegible]
	कुल किता 9					कुल रकबा 1.65	
34	प्रताप पि.पीरू मेरात सा.देह	307	0.20				

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:18:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

(2) प्रार्थीगण की जाति रावत (मेरात) है परन्तु राजस्व रेकार्ड में राजस्व कार्मिको की गलती से मेरात मुसलमान लिखा गया है जो गलत है।

(3) प्रार्थीगण के समस्त दस्तावेजात यथा परिवार राशन कार्ड ,आधार कार्ड आदि में प्रार्थीगण की जाति "रावत" ही दर्ज है।

(4) राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण की जाति गलत अंकित होने से प्रार्थीगण को कई सरकारी योजनाओ जैसे बैंक ऋण,किसान क्रेडिट कार्ड आदि का लाभ नहीं मिल पा रहा है क्यों कि प्रार्थीगण के अन्य सभी दस्तावेज राशन कार्ड,आधार-कार्ड,पहचान पत्र अंकतालिका आदि में प्रार्थीगण की जाति रावत दर्ज है।। अतः प्रार्थीगण की जाति राजस्व रेकार्ड में मेरात मुसलमान के स्थान पर जाति रावत दर्ज कराया जाना आवश्यक है।

(5) मौजा ग्राम सोपुरा पटवार हल्का दड़ावट में प्रताप, देबी, सायर पि.पीरू नाम के व्यक्ति प्रार्थीगण के अलावा ओर कोई नहीं है।

(6) अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण की जाति राजस्व रेकार्ड में मेरात मुसलमान के स्थान पर जाति रावत दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

(7) प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को सम्मन जारी किये गये। अप्रार्थी के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी की ओर से पैराकार सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया है।

(8) प्रकरण में वकील प्रार्थीगण की इस्तदुआ पर बहस वकील उभय –पक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थीगण का जाति राजस्व रेकार्ड में मेरात मुसलमान के बजाय रावत दर्ज किया जाना न्याय संगत है। प्रार्थीगण हिन्दू रिति-रितिरिवाज को अपनाते आये है।

(9) पैराकार सरकार ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीगण की जाति जमाबन्दी संवत 2034 – 37 की खाता संख्या 11 के अनुसार मेरात मुसलमान है। अतः प्रार्थीगण की जाति रावत दर्ज नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

(10) बहस वकील उभय -पक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों / प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत उनके राशन कार्ड की प्रति / ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण –पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण की सही जाति "रावत"होना प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है –

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:18:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा[illegible] 1956 स्वीकार किया जाकर निम्नांकित कृषि भूमि में खातेदारान की जाति का संशोधन किया जाकर [illegible]नुसार अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है –

सहायक कलक्टर(S.D.O.)
आसींद जिला-भीलवाड़ा

ग्राम सोपुरा पटवार हल्का [illegible] तहसील आसीन्द संवत 2068-71

खाता संख्या	खातेदार का नाम	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा	आराजी नम्बर	रकबा
33	प्रताप देवा सावर	261	0.17	263	0.30	297	0.06
	पि.पीरू रावत	298	0.33	299	0.29	300	0.05
	सा.देह खातेदार	301	0.06	303	0.28	308	0.31
	कुल किता 9					कुल रकबा 1.65	
34	प्रताप पि.पीरू रावत सा.देह खातेदार					307	0.26

तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल-दरामद किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से की जावें एवं दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

(श्री एल.शर्मा)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड आसीन्द जिला भीलवाड़ा

क्रमांक / रीडर / 2021 / 56 दिनांक 10/8/2021

प्रतिलिपी:- तहसीलदार आसीन्द को प्रेषित कर लेख है कि निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड में आवश्यक इन्द्राज करा पालना रिपोर्ट मय राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रतियों के इस न्यायालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.13 13:18:53 IST
Reason: SelfAttested